RR 388
17-4-12

(131)

फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1–तिलक मार्ग, लखनऊ

डीजी–परिपत्र संख्या– 19/2012 दिनांकःलखनऊः मार्च 16 ,2012

सेवा में,

1. समस्त राज्य जन सूचना अधिकारी–सी0बी0सी0आई0डी0, ई0ओ0डब्लू0, तकनीकी सेवाएं, भ्र0नि0सं0, विशेष जॉच प्रकोष्ठ, प्रशिक्षण, फायर सर्विस, जीआरपी, पुलिस आवास निगम, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद, एस0आई0टी0, विशेष सुरक्षा वाहिंनी, निदेशक, यातायात, रूल्स एण्ड मैनुअल एवं उ0प्र0 पुलिस रेडियो शाखा।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 --कार्य योजना।

कृपया इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या–80/2007, दिनांक 14 सितम्बर 2007 द्वारा उपरोक्त अधिनियम के कियान्वयन हेतु कार्ययोजना प्रेषित की गई थी, जिसमें कतिपय कठिनाइयो, परिक्षेत्रों के पुनर्गठन से उत्पन्न परिस्थितियों व अन्य सुझावों को समायोजित करते हुए उक्त कार्ययोजना पर पुनर्विचार कर निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैः–

I-दायित्व निर्धारणः–

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अनुपालन में एवं राज्य सूचना आयोग के निर्देशानुसार जनपद स्तर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्तर पर जो जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी बनाये गये हैं, उनका दायित्व निर्धारण संलग्नक–1 में दिया गया है।

2) इसी प्रकार सी0बी0सी0आई0डी0, ई0ओ0डब्लू0, तकनीकी सेवाएं, भ्र0नि0सं0, विशेष जॉच प्रकोष्ठ, प्रशिक्षण, फायर सर्विस, जीआरपी, पुलिस आवास निगम, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद, एस0आई0टी0, विशेष सुरक्षा वाहिंनी, निदेशक, यातायात एवं उ0प्र0 पुलिस रेडियो शाखा/इकाईयों के जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के पदनाम संलग्नक–1 में दिये गये है।

II-प्रचार–प्रसार

(1) जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों के नाम एवं पदनाम को सूचना पटों पर लगाया जाए। तकनीकी सेवायें, जवाहरभवन, लखनऊ इसको उ0प्र0 पुलिस वेबसाइड पर डालकर अपडेट करें।

(3) इस मुख्यालय से निर्गत अशा० परिपत्र संख्या–डीजी 33/2011 दिनांक 25.10.11 एवं अशा० पत्रांकः डीजी–4–110(911)/2011 दिनांक 01.11.2011 में विभागीय कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु निर्धारित समयावधि में ही आवेदक द्वारा जनसूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना मांगी जाती है तो परिपत्र में निर्धारित समयावधि का पालन किया जाय।

(4) इस मुख्यालय द्वारा निर्गत अशा० परिपत्र संख्या– डीजी–35/2011 दिनांक 03.11.2011 सिटीजन चार्टर जिसमें जनता की सेवाओं हेतु समयावधि निर्धारित की गई है, के निमित्त यदि आवेदन जनसूचना अधिकार के अन्तर्गत आवेदन करता है तो निर्धारित समयावधि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) यदि आवेदक किसी सूचना के निमित्त आवेदन करता है तो सम्बन्धित लोकप्राधिकारी को नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा रुपये 10/– का आवेदन शुल्क संलग्न करना होगा। यदि आवेदक गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के सदस्य होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो उसे इस शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

III-मासिक समीक्षा–

(1) जनपद प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक निर्धारित प्रारूप में सूचना जनसूचना अधिकारियों से प्रत्येक माह 7 तारीख तक एकत्र कर समीक्षा करेंगे एवं समीक्षोपरान्त प्रत्येक माह की 10 तारीख तक परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक को निर्धारित प्रारूप–5 में सूचना प्रेषित करेगें तथा परिक्षेत्र स्तर पर प्रकरणों की मासिक समीक्षा की जाएगी।

(2) इसी प्रकार समस्त इकाईयों के अपीलीय अधिकारी अपने–अपने विभागों के जन सूचना अधिकारियों से सूचना प्राप्त किये जाने के उपरान्त समीक्षा करेगें तथा समीक्षात्मक स्टेटमेंट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विभागाध्यक्ष को मासिक समीक्षा हेतु प्रेषित करेंगे।

IV-सूचना प्रदत्त किये जाने का माध्यम

(1) सूचना मांगने वाले यदि कार्यालय में उपस्थित होते है तो उनके साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र तैयार करने अथवा शुल्क किस प्रकार जमा होना है, इस सम्बन्ध में आवेदक की सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(2) जनसूचना से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड डाक अथवा (स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर) प्रेषित/प्रदान की जायेगी।

V- उ०प्र०सरकार के पत्र सं०–82आर.आई/छ:पु.–4–2008 दिनांकित 10 जुलाई, 2005 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अधीन अभिसूचना शाखा, सुरक्षा शाखा, विशेष कार्य ... इकाईयों को उक्त अधिनियम की परिधि से

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्राख्यापित प्राविधानों के अनुसरण में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 24.11.2008 एवं 28.8.2009 जो आवेदक को समय से सूचना प्रदान करने तथा मा0 आयोग में समय से प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के संबंध में है, का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(ए0 सी0 शर्मा)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) पुलिस महानिदेशक, भ्र0नि0सं0, उ0प्र0 लखनऊ।

(2) अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, ई0ओ0डब्लू0,, तकनीकी सेवाएं, विशेष जॉच प्रकोष्ठ, प्रशिक्षण, फायर सर्विस, जीआरपी,, पुलिस आवास निगम, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद, एस0आई0टी0, विशेष सुरक्षा वाहिनी,, निदेशक, यातायात, रूल्स एण्ड मैनुअल एवं उ0प्र0 पुलिस रेडियो।

संलग्नक–

उ0प्र0 पुलिस विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत परिक्षेत्रों/इकाईयों में नियुक्त जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों के पदनाम

क्र0 सं0	कार्यालय/इकाई का नाम	जन सूचना अधिकारी का पदनाम	सहायक जन सूचना अधिकारी का पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पदनाम
1.	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0	अपर पुलिस अधीक्षक(लोक शिकायत)	पुलिस उपाधीक्षक(लोक शिकायत)	अपर पुलिस महानिदेशक (का0/व्य0 एवं अपराध) उ0प्र0
2.	जिला पुलिस	अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी(कार्यालय)	प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
3.	पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र	रीडर टू पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र	प्रधान लिपिक/गोपनीय सहायक	पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र
4.	सी0बी0सी0आई0डी0	सम्बन्धित शाखा/इकाईयों के पुलिस अधीक्षक/सेक्टर आफीसर/सेनानायक	अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (नियुक्ति अनुसार)	पुलिस महानिरीक्षक
5.	ई0ओ0डब्लू0			
6.	तकनीकी सेवाए			
7.	प्र0नि0स0			
8.	विशेष जॉच प्रकोष्ठ			
9.	प्रशिक्षण			
10.	फायर सर्विस			
11.	जी0आर0पी0			
12.	पुलिस आवास निगम			
13.	पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद			
14.	एस0आई0टी0			
15.	विशेष सुरक्षा वाहिनी			
16.	निदेशक, यातायात			
17.	रूल्स एण्ड मैनुअल			
18.	उ0प्र0 पुलिस रेडियो	राज्य रेडियो अधिकारी, प्रशासन	सहायक रेडियो अधिकारी	पुलिस उपमहानिरीक्षक, दूरसंचार